

धीमान (जवान)  
पुनः प्रार्थना पत्र  
उत्सुत करने  
के अधिकार  
को सुरक्षित  
रखते हुये  
उक्त प्रार्थना  
पत्र विद्वा  
करता है  
Dr. Lal Jangal  
Adv.  
23/1/25

23/1/25  
पत्रावली पेश हुई / वकील प्रार्थी श्री मोहम्मद मुसुक प्रार्थी की  
ओर से उपस्थित हैं। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर निवेदन  
किया गया कि प्रार्थी पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही नहीं  
चाहते हैं। अतः नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने के अपने अधिकारों  
को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र विद्वा करत हैं। इस अवसर  
वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली आदेशिका पर रिप्लायी दर्ज की  
गई। वकील प्रार्थी को सुना गया / वकील प्रार्थी पत्रावली पर  
आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पत्रावली  
पर आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः  
वकील प्रार्थी को लिखित रिप्लायी तथा मौखिक कवनों को  
स्वीकार किया जाकर नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने के  
अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही  
इसी स्तर पर समाप्त कि जाती है। पत्रावली केवल  
शुमार दोकुर नम्बर से कम दोकुर शामिल दस्तूर है।

Dr. Lal Jangal